**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1059**

**बुधवार, 10 फरवरी, 2021 / 21 माघ, 1942 (शक)**

**शिथिलीकृत श्रम कानून का बाल श्रम पर असर**

**1059. श्रीमती फूलो देवी नेतम:**
**श्रमती प्रियंका चतुर्वेदी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2020 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्यों में बाल मजदूरी और बच्चों के लिए जोखिम भरे काम में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस वृद्धि और इन राज्यों द्वारा श्रम कानूनों को शिथिल बनाए जाने तथा विद्यालयों के बंद होने और प्रवासियों के वापस लौटने के बीच कोई पारस्परिक संबंध है;
(घ) क्या सरकार बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर किए गए बच्चों के लिए कोई नया बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करेगी;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) से (ग): बाल श्रम अनेक समाजार्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता का परिणाम है। भारत सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम समवर्ती सूची में है, इसलिए इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन का दायित्व केन्द्र तथा राज्य, दोनों सरकारों पर अपने-अपने क्षेत्राधिकार में है। अत: बाल श्रम में वृद्धि/कमी से संबंधित ऐसे आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ) से (च): भारत सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है और बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो कि 01.09.2016 से प्रभावी हो गया है। संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी व्यवसाय एवं प्रक्रिया और 14 से 18 आयु वर्ग के किशारों के जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य अथवा नियोजन पर पूर्ण प्रतिषेध का प्रावधान है। संशोधन अधिनियम में इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं हेतु और अधिक कठोर दंड का प्रावधान है और इसमें अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी योजना के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कार्य से मुक्त/हटाया जाता है और उन्हें एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसीज) में नामांकित कराया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षण पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वृत्तिका, स्वास्थ्य देख-रेख आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के साथ परस्पर समन्वयन के माध्यम से औपचारिक शिक्षण पद्धति के साथ सीधे सहबद्ध किया जाता है।

*****